न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

निवान - मनोरमा बनाम ओम प्रकाश आदि

किस्म मुकदमा :- 188 2025 RTA प्रकरण सं. :- 160/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
23/4/26	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय-पक्ष उपस्थित। दावा वादी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय शामिल किया जाकर डिक्री जारी हो। नंबर से कटे। निर्णय सुनाया गया। DV उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.) Signature Not Verified Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena Date: 2026.04.23 18:49:06 IST Reason: SelfAttested	GCMS 2024/325

न्यायालय सहायक जिलाधीश एवम् उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

बइजलासः–श्री भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 160/2024

GCMS:- 2024/325

प्रविष्टि दिंनाक 06.06.2024

मनीराम पुत्र श्री राजाराम जाति कुम्हार निवासी चक 24 पी.बी.एन. सी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राज0।

......वादी

बनाम

1. श्री ओम दुर्गेसर पुत्र श्री दुलाराम जाति जाट निवासी पालीवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. सरपंच ग्रांम पंचायत पालीवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज0
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.......प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–

1. श्री राकेश सारस्वत अभिभाषक (वादी)
2. प्रतिवादी नं0 1 व 2 बाद सूचना अनुपस्थित।
3. प्रतिवादी नं0 3 स्वयं उपस्थित।

निर्णय

दिंनाकः– 23·04·2026

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने इस न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 188–209 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी के नाम से वाके चक 13 एस.टी.बी. के प.न. 26/325 (9) कि0न0 11 ता 14/0.429 है0 नहरी, अ0क0बा0, प0न0 27/325 (10) कि0न0 6/0.013 है0, 7/0.063 है0, 14/0.253 है0, 15/1/0.228 है0, 15/2/0.025 है0 खाला, 16/1/0.228 है0, 16/2/0.025 है0 खाला, 17/0.253 है0, 23/2/0.127 है0, 24/0.253 है0, 25/1/0.228 है0, 25/2/0.025 है0 = 1.721 है0 नहरी मय खाला कुल 2.150 है0 नहरी, अ0क0बा0 मय खाला खातेदारी भूमि दर्ज कागजात है। जमाबन्दी सम्वत् 2075 ता 78 के खाता सं. 53 शामिल पत्रावली हैं। जैरवाद रकबा वाके चक 13 एस.टी.बी. में प.न. 25/325 से 29/325 के लगते सूरतगढ ब्रान्च चल रही हैं तथा प.न. 27/325 के कि0न0 15,16,25 में उत्तर से दक्षिण खाला हैं जो कि प0न0 27/326 के कि0न0 1 ता 5 में स्वीकृत पूर्व से पश्चिम खाला से मिलता हैं। जो कि संलग्न नक्शा से भी साबित है। प.न. 27/326 से 30/326 तक खाला मौका पर टूट चुका है। जिसे मरम्मत करने हेतु सिचांई विभाग से अनापति प्रमाण पत्र जारी हैं एवं बजट भी स्वीकृत खाला की मरम्मत के लिये राज्य सरकार द्वारा जारी हो चुका हैं। प0न0 27/326 से 30/326 तक का स्वीकृत पक्का खाला जर्जर अ[illegible] के कारण सूरतगढ ब्रान्च की सीमा के भीतर एक अस्थाई खाला चल रहा है। जो कि अस्वीकृत [illegible] वादी के खातेदारी रकबा से बाहर नहर की सीमा में चल रहा हैं। नहर [illegible] अस्थाई खाला बन्द होने की कगार पर हैं। प्रतिवादी नं0 1 जो कि प्रतिवादी न0 2 [illegible] पति हैं। ....लगातार 2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.23 18:49:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

पत्नी सरपंच होने के कारण काफी प्रभावशाली व्यक्ति हैं। अतः प्रतिवादी नं0 2, प्रतिवादी नं0 1 के दबाव में आकर षड़यन्त्रपूर्वक बिना खाला निर्माण की अनुमति लिये वा बिना खाला मंजूर करवाये मुझ वादी की भूमि प.न. 27/325 का कि.न. 6, 7 में खाला का म—नरेगा के तहत निर्माण करवाने को आमादा है। यदि उनके द्वारा उक्त निर्माण को कार्य रूप में परिणत कर दिया तो ना केवल वादी के खातेदारी भूमि जिसमें फसल मौका पर खड़ी है को नुकसान होगा बल्कि खातेदारी भूमि भी खाला के नीचे दब जावेगी जबकि वादी की उक्त खातेदारी भूमि में कोई खाला मंजूर नहीं है। प्रतिवादी न. 1 दिनांक 22.05.24 को मेरे खेत में आया एवं एलानिया कहां कि मनरेगा के तहत तुम्हारे खेत में बिना किसी सक्षम अदालत के आदेश के बिना खाला का निर्माण कार्य करेंगें यदि इसमें किसी प्रकार का अवरोध पैदा किया तो पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवा देंगें तथा हमें एलानियॉ धमकी दी की पुलिस थाना, एक्स.ई.एन. दफतर वा तहसीलदार की अदालत में मेरी चलती है फिर भी अगर तुमने कोई अड़ंगा डाला अथवा खाला निर्माण नहीं करने दिया तो जबरन तुम्हारी भूमि में खाला का निर्माण कर देंगें। वादी ने बताया कि मेरी खातेदारी भूमि में यहा कोई मनरेगा के तहत खाला मंजूर ही नहीं है, राज्य सरकार से बजट भी पूर्व में चल रहें स्वीकृत खाला के मरम्मत के लिये मंजूर हुआ हैं। ऐसी अवस्था में यदि प्रतिवादी अपने मकसद में कामयाब हो गये तो वादी की भूमि बर्बाद हो जावेगी अलावा झगड़ा भी होगा। ऐसी अवस्था में प्रतिवादीगण को ता फैसला वाद पत्र चिरस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना अति आवश्यक है। प्रतिवादी द्वारा दिनांक 22.05.2024 को मौका पर आकर एलानियॉ धमकी दी कि वे वादी के खेत में मनरेगा के तहत खाला का निर्माण करेंगें बस यही बर बिनाय वाद मुखास्मत है। अतः वादपत्र वादी स्वीकार कर चिर स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण जारी की जावें।

वादी द्वारा वाद प्रस्तुत होने के पश्चात् बाद रिपोर्ट वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को सम्मन बनाम प्रतिवादी जारी किये गये। प्रतिवादी नं0 1 व 2 बाद सूचना हाजिर नही आने पर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादपत्र के आधार पर निम्नानुसार तनकी कायम की गईः—

1. आया कि वादी चक 13 एस.टी.बी. के प.न. 26/325 (9) कि0न0 11 ता 14/0.429 है0 नहरी, अ0क0बा0, प0न0 27/325 (10) कि0न0 6/0.013 है0, 7/0.063 है0, 14/0.253 है0, 15/1/0.228 है0, 15/2/0.025 है0 खाला, 16/1/0.228 है0, 16/2/0.025 है0 खाला, 17/0.253 है0, 23/2/0.127 है0, 24/0.253 है0, 25/1/0.228 है0, 25/2/0.025 है0 = 1.721 है0 नहरी मय खाला कुल 2.150 है0 नहरी, अ0क0बा0 मय खाला खातेदारी भूमि का खातेदार कृषक हैं? ....वादी
2. आया कि वादी जैरवाद रकबा की बाबत प्रतिवादीगण के खिलाफ चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाने का हकदार हैं? ....वादी
3. अन्य अनुतोष

उक्तानुसार तनकी कायम करने पर दिनांक 15.09.20[illegible] द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया। जो कि पी.डब्लयु.—1 हैं। जिसमें वादी द्वारा अपने कथनों की [illegible] की। जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2071 Exp-1 हैं। जिस पर जिरह शून्य रहा। पत्रावली बहस हेतु प्रस्तुत हुई। वादी द्वारा वादपत्र के कथनो को दोहराते हुये प्रतिवादीगण के खिलाफ चिरस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया।

................लगातार 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.23 18:49:06 IST
Reason: SelfAttested

बाद सुनने तर्क वादी पूर्ण पत्रावली का ध्यान पूर्वक पठन व मनन करने उपरान्त तनकीयात का क्रमबद्व विवेचना की गई। जो कि निम्न प्रकार से हैं:—

1. आया कि वादी चक 13 एस.टी.बी. के प.न. 26 / 325 (9) कि0न0 11 ता 14 / 0.429 है0 नहरी, अ0क0बा0, प0न0 27 / 325 (10) कि0न0 6 / 0.013 है0, 7 / 0.063 है0, 14 / 0.253 है0, 15 / 1 / 0.228 है0, 15 / 2 / 0.025 है0 खाला, 16 / 1 / 0.228 है0, 16 / 2 / 0.025 है0 खाला, 17 / 0.253 है0, 23 / 2 / 0.127 है0, 24 / 0.253 है0, 25 / 1 / 0.228 है0, 25 / 2 / 0.025 है0 = 1.721 है0 नहरी मय खाला कुल 2.150 है0 नहरी, अ0क0बा0 मय खाला खातेदारी भूमि का खातेदार कृषक हैं?

   इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर हैं वादी द्वारा उक्त तनकी को राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी चक 13 एसटीबी सम्वत् 2075 से 2078 खाता नं0 53 पेश कर पूर्णतया साबित किया हैं। वादी जैरवाद भूमि का खातेदार कृषक हैं। मौके पर काबिज काश्तकार हैं। अतः उक्त तनकी बहक वादी निर्णित की जाती हैं।

2. आया कि वादी जैरवाद रकबा की बाबत प्रतिवादीगण के खिलाफ चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाने का हकदार हैं?

   इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर हैं वादी ने अपने इस कथन की पुष्टि हेतु शपथ पत्र पेश किया हैं। जिसके खिलाफ कोई विपरीत साक्ष्य नही आने पर वादी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुये उक्त तनकी बहक वादी निर्णित की जाती हैं।

3. अन्य अनुतोष

   तनकी नं0 1 व 2 बहक वादी निर्णित किये जाने पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त तनकीवार विवेचना के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता हैं एवं स्थाई व्यादेश विरूद्व प्रतिवादीगण जारी किया जाता हैं कि वे वादी की कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि चक 13 एस. टी.बी. के प.न. 26 / 325 (9) कि0न0 11 ता 14 / 0.429 है0 नहरी, अ0क0बा0, प0न0 27 / 325 (10) कि0न0 6 / 0.013 है0, 7 / 0.063 है0, 14 / 0.253 है0, 15 / 1 / 0.228 है0, 15 / 2 / 0.025 है0 खाला, 16 / 1 / 0.228 है0, 16 / 2 / 0.025 है0 खाला, 17 / 0.253 है0, 23 / 2 / 0.127 है0, 24 / 0.253 है0, 25 / 1 / 0.228 है0, 25 / 2 / 0.025 है0 = 1.721 है0 नहरी मय खाला कुल 2.150 है0 नहरी, अ0क0बा0 मय खाला खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की स्वयं अथवा अन्य व्यक्तियों के माध्यम से कोई दखलादांजी ना करें एवं ना ही कोई निर्माण कार्य करें इस आशय की डिक्री जारी होकर पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर फरमाई जावें।

निर्णय आज दिनांक [illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(ओ.21 रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

–:परचा डिक्री:–

न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0

बइजलासः–श्री भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 160/2024 प्रविष्टि दिनाक 06.06.2024

मनीराम पुत्र श्री राजाराम जाति कुम्हार निवासी चक 24 पी.बी.एन. सी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राज0। ......वादी

बनाम

1. श्री ओम दुर्गेसर पुत्र श्री दुलाराम जाति जाट निवासी पालीवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. सरपंच ग्रांम पंचायत पालीवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज0
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.......प्रतिवादीगण

वादपत्र धारा 188–209 आरटीए मुकदमा नं0 160 वर्ष 2024 यह मुकदमा में पेश होने पर वास्ते इनफिलास कितई रूबरू हमारे हाजिर वकील वादी श्री राकेश सारस्वत व प्रतिवादी नं0 3 राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार सूरतगढ के हाजिर होने पर वाद पत्र स्वीकार कर हुक्म दिया जाता हैं व डिक्री जारी की जाती हैं कि:–

वाद वादी स्वीकार किया जाता हैं एवं स्थाई व्यादेश विरूद्व प्रतिवादीगण जारी किया जाता हैं कि वे वादी की कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि चक 2 डीओ बी खाता नं0 78/71 प0न0 4/61 कि0न0 1/2 ता 4, 10 ता 22/1 कुल 9–00 बीघा तादादी 2.189 है0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि में वादी की कब्जा काश्त में किसी प्रकार की स्वयं अथवा अन्य व्यक्तियों के माध्यम से कोई दखलादांजी ना करें एवं ना ही कोई निर्माण कार्य करें।

नोज..........×............. मुबलिग..........×.............बाबत..........×............. खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह..........×.............फस्दो की पालना ....×.............आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 23.04.2026 को जारी किया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.23 18:49:06 IST
Reason: SelfAttested

(भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)